न्यायालय, कलेक्टर, जिला रतलाम (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 39/अ–20(3)/14–15

:: आदेश ::

(पारित दिनांक 10/04/2015)

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर पश्चिम रेलवे, रतलाम द्वारा उनके पत्र क्रमांक उप मु.अभि./बांसवाडा/भूमि दिनांक 25-09-2014 एवं पत्र क्रमांक उपरे/सवनि/रतलाम/504258060/3, दिनांक 05.02.2015 से रतलाम–डूंगरपूर व्हाया बांसवाडा न्यू रेलवे लाईन परियोजना से रतलाम जिले के प्रभावित 09 ग्रामो की कुल 36.11 हेक्टेयर वन भूमि के स्थान पर वन विभाग को अन्यत्र राजस्व भूमि उपलब्ध कराने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत अनुरोध किया गया है।

2/ उक्त प्रस्ताव के संबंध में तहसील सैलाना के ग्राम पूनापाडा, प.ह.नं.–46 के सर्वे क्रमांक 12, 13 एवं 19 में क्रमशः 13.28, 3.45 एवं 9.45 हैक्टेयर तथा ग्राम पाटडी पटवारी हल्का नं–36 के सर्वे क्रमांक 42 में 12.56 हैक्टेयर भूमि वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराने के संबंध मे अनुविभागीय अधिकारी, सैलाना के पत्र क्रमांक–वन विभाग/01 दिनांक– 03 मई 2015 के द्वारा वन मण्डल अधिकारी जिला रतलाम से अभिमत चाहे जाने पर वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, रतलाम के द्वारा उनके पत्र क्रमांक–मा.चि/2015/402, दिनांक–04.02.15 से तहसील सैलाना के ग्राम पूनापाड़ा, प.ह.नं.–46 के सर्वे क्रमांक 12, 13 एवं 19 मे क्रमशः 13.28, 3.45 एवं 9.45 हेक्टेयर तथा ग्राम पाटड़ी पटवारी हल्का नं–36 के सर्वे क्रमांक 42 मे से 9.93 हेक्टर भूमि (कुल 36.11 हैक्टयर) वृक्षारोपण हेतु योग्य होना बताया गया।

3/ उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में तहसीलदार सैलाना द्वारा प्रारंभिक जॉच उपरांत दिनांक 06-02-2015 को नियमानुसार अधिसूचना (विज्ञप्ति) जारी की गई। नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। तत्पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी, सैलाना को नियमानुसार जॉच प्रतिवेदन हेतु निर्देशित किए जाने पर उनके द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित की जाने वाली भूमियों की स्थल जॉच अधीनस्त तहसीलदार, तहसील सैलाना से वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी मे कराई गई। तहसीलदार, सैलाना द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित की जाने वाली शासकीय भूमियों का मुल्यांकन वर्ष 2014–15 की गाईडलाइन के आधार पर किया गया।

4/ तहसील सैलाना के ग्राम पूनापाड़ा, प.ह.न.–46 एवं पाटडी प.ह.न.–36 के खसरे में अंकित शासकीय राजस्व भूमि को वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को निम्नानुसार भूमि अंतरित की जा रही हैं, जिसका मुल्यांकन निम्नानुसार है –

क्र. सं.	ग्राम का नाम	सर्वे नं0.	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर	नोईयत	आवंटन रकबा हेक्ट.	सिंचित / असिंचित	दर	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पूनापाडा, प.ह.नं. –46	12	13.28	ना.का.का.	13.28	असिंचित		
		13	3.45	राजस्व वन	3.45	असिंचित		
		19	11.47	राजस्व वन	9.45	असिंचित		
	योग	-	–	–	**26.18**		1,55,000	40,57,900/-
2	**पाटडी** प.ह.नं.36	42	12.56	राजस्व वन	9.93	असिंचित		
	योग	-	–	–	**9.93**		1,55,000	15,39,150/-
	महायोग	-	–	–	**36.11**		कुल राशि	**55,97,050/-**

5/ तहसीलदार, तहसील सैलाना द्वारा आपने जॉच प्रतिवेदन दिनांक 28-02-2015 में उल्लेखित किया गया कि प्रश्नगत न्यू रेलवे लाइन निर्माण में प्रभावित 36.11 हेक्टेयर वन विभाग की भूमि के बदले दी जाने वाली राजस्व विभाग भूमि का संबंधित फोरेस्ट गार्ड, डिप्टी रेंजर के साथ मौका मुआयना कर, ग्राम पूनापाडा प.ह.नं. 46 की सर्वे नं. 12,13,19 व ग्राम पाटडी प.ह. नं. 36 की सर्वे नं0. 42 की भूमि जो कि वन विभाग की भूमि से लगी हुई है जिसका चयन किया जाकर उक्त भूमि पर कोई सार्वजनिक निर्माण जैसे कि मकान, मंदिर, मस्जिद, शमशान, चर्च आदि नही होना प्रतिवेदित कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, सैलाना को भिजवाने पर उनके द्वारा तहसीलदार, तहसील सैलाना के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया।

(निरंतर.........2)

प्रकरण कमांक 39 / अ–20(3) / 14–15

6/ आवेदक उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर पश्चिम रेलवे, रतलाम के अनुरोध एवं वनमण्डलाधिकारी, रतलाम की सहमति तथा अधीनस्थ के जॉच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आधार पर व्यापक सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुवे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत डूंगरपुर–रतलाम व्हाया बांसवाड़ा नई रेलवे लाइन निर्माण परियोजना से रतलाम जिले की प्रभावित 36.11 हेक्टेयर वन विभाग की भूमि (तहसील सैलाना के ग्राम धोडापल्ला की 1.85, बयांटोक की 4.74, डूंगरापूजा की 3.73, साकड की 0.30, पाटडी हल्का नं0–36 की 8.15 हेक्टेयर, पाटड़ी हल्का नं0 13 की 0.45 हेक्टेयर, कालाखेत की 3.06 एवं भेड़ली की 8.73 हेक्टेयर तथा तहसील रतलाम के ग्राम पलसोड़ी की 5.05 हेक्टेयर) का गैर वानिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन के लिए दी जाने वाली राजस्व भूमि तहसील सैलाना के ग्राम पूनापाडा प.ह.नं. 46 स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 12 रकबा 13.28 हेक्टर नोईयत ना.का.का., सर्वे कमांक 13 रकबा 3.45 हेक्टर नोईयत राजस्व वन, सर्वे कमांक 19 रकबा 11.47 हेक्टर नोईयत राजस्व वन में से 9.45 हेक्टर तथा ग्राम पाटडी प.ह.नं. 36 की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 42 रकबा 12.56 हेक्टर नोईयत राजस्व वन में से 9.93 हेक्टर इस प्रकार उपरोक्त दोनो ग्रामो की कुल भूमि रकबा 36.11 हेक्टर की नोइयत को म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 234(3) एवं 237(3) के अंतर्गत परिवर्तन कर "वन विभाग" मद में दर्ज की जाकर राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड पर कमांक-7 के तहत दोनो ग्रामो की प्रश्नगत राजस्व भूमि कुल रकबा 36.11 हेक्टर की मुल्यांकन राशि रुपये 55,97,050/– का भुगतान रेलवे विभाग द्वारा राजस्व मद में किये जाने की शर्त पर, राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

{डॉ. संजय गोयल}
कलेक्टर
जिला, रतलाम

क्रमांक 1172 /री–2015 रतलाम, दिनांक 10/04/2015

प्रतिलिपि –

1) सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल।
2) आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
3) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबन्ध) म.प्र. भोपाल।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4) वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल रतलाम।
5) उप मुख्य अभियंता(निर्माण)उत्तर पश्चिम रेलवे, रतलाम।
6) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सैलाना व रतलाम।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

7) तहसीलदार, सैलाना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आदेश का इंद्राज राजस्व अभिलेख में करें तथा अतंरित भूमि का मौके पर सीमांकन कर भूमि का कब्जा वन विभाग से संबन्धित अधिकारियो को देवे एवं संशोधित खसरा नक्शा की प्रति इस कार्यालय को भेजे ।
8) राजस्व निरीक्षक, शिवगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला रतलाम